

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:- 81/2008

दायर दिनांक:- 18.08.2008

जीसीएमएस नं. 2008/00128

उनवान

देवचंद पुत्र रघुनाथ जाति मीना निवासी दानलपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

—सायल

बनाम

सिरमोर पुत्र स्वरूप जाति मीना निवासी दानलपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

—गैरसायल-03

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 23-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायल एवं सायल वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार सायल एवं सायल वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद सायल एवं सायल वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि सायल एवं सायल वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 81/2008 देवचंद बनाम सिरमोर अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

